लेखा · योग

संस्थाओं का नियमन (त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल) अङ्क ८३ सितम्बर '०२ (फरवरी '०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

त्रिपुरा	१
उत्तर प्रदेश	१
पश्चिम बंगाल	३

इस अंक के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बडा कठिन कार्य सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अंक में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।

त्रिपुरा

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०; राज्य द्वारा संशोधित (Societies Registration Act, 1860; as ammended by state)]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन[१] तथा नियम-विनियम[२] की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० %) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

शासी निकाय[३] की सदस्य-सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा[४] होने के १४ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती हो तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान– इस अधिनियम में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन– यदि संस्था की एक विशेष सभा में उपस्थित महा-निकाय[५] के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० %) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान, या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा: विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[६] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची हुई सम्पत्ति को संस्था के ३/५ (६० %) सदस्य किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान– एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि[७] भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

उत्तर प्रदेश

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०; संस्थाओं का पञ्जीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००० के द्वारा संशोधित {Societies Registration Act, 1860; as amended by The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2000}]

[१] मैमोरैण्डम आफ एसोसिएशन
[२] रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स
[३] गवर्निंग बॉडी
[४] जनरल मीटिंग
[५] जनरल बॉडी
[६] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।
[७] पञ्जीकाधिकारी द्वारा प्रमाणित

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि, तथा संस्था के पञ्जीकृत कार्यालय का पता (१,००० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

नवीनीकरण– धारा-३ के अन्तर्गत निर्गत (इश्यु) किया गया पञ्जीकरण प्रमाणपत्र ५ वर्षों के लिए वैध होता है।

इस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के १ महीने के अन्दर एक आवेदन (२०० रुपये शुल्क के साथ) पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करके आप अपने प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करवा सकते हैं।

यदि प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक नवीनीकरण के लिए आवेदन न किया जाय, तो संस्था को अपञ्जीकृत संस्था माना जायगा। इस स्थिति[८] में पञ्जिकाधिकारी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की आज्ञा (४०० रुपये दण्ड जमा करने पर) दे सकते हैं।

परिवर्तन– आप संस्था के उदेश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों[९] का आयोजन करना होगा और उसमे उपस्थित ३/५ (६० %) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

पञ्जिकाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से संस्था अपने एक महासभा में दो-तिहाई (६६ %) बहुमत से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर सकती है [धारा-१(ए)]।

शासी-निकाय की सदस्य सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती हो तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)। यदि प्रबन्धन-निकाय के सदस्यों का चुनाव यह सूची जमा करने के बाद होता है तो इस सूची पर पुराने सदस्यों के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

इस सूची के साथ संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम का नवीनतम संशोधित एवं प्रमाणित[१०] प्रतिलिपि भी जमा करवानी होंगी।

नियम-विनियम अथवा संस्था के पते में परिवर्तन का विवरण[११] ३० दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी को पास जमा करवानी होंगी [धारा-४-ए (२)]।

लेखा-सम्बन्धी प्रावधान– शासी-निकाय के सदस्यों की सूची के साथ गत वर्ष के तुलन-पत्र की प्रतिलिपि भी पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होंगी [धारा-४(२)]।

विघटन– यदि महासभा में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० %) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान, या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

पञ्जिकाधिकारी द्वारा विघटन– यदि धारा-१३-बी[१२] में बताये गए कोई भी कारण विद्यमान हों, तो पञ्जिकाधिकारी संस्था को एक 'कारण बताओ सूचना' भेज सकते हैं (धारा-१३-ए)। यदि पञ्जिकाधिकारी संस्था के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वह धारा-१३-बी के अन्तर्गत संस्था के विघटन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय द्वारा विघटन– न्यायालय भी निम्नलिखित परिस्थितियों में संस्था के विघटन का आदेश दे सकता है (धारा १३-बी) :-

- अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने पर; या
- सदस्यों की संख्या ७ से कम हो जाने पर; या

[८] यदि उचित कारण दिखाया जाए
[९] एक माह के अन्तराल पर

[१०] शासी-निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा
[११] शासी-निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित
[१२] न्यायालय द्वारा विघटन

- निरन्तर तीन वित्तीय वर्ष तक संस्था के निष्क्रिय रहने पर; या
- संस्था के अपने दायित्वों और ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ हो जाने पर; या
- अन्य कोई भी कारण, जहाँ संस्था का विघटन ही उचित उपाय हो।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[१३] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। परन्तु विघटन के समय उपस्थित संस्था के ३/५ (६० %) सदस्य सम्पत्ति[१४] को किसी दूसरी संस्था या सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४ व १४-ए)।

अन्य प्रावधान– ५० रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि[१५] भी प्राप्त की जा सकती हैं (धारा-१६)।

पश्चिम बंगाल

[पश्चिम बंगाल संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९६१ (The West Bengal Societies Registration Atc, 1961)]

पञ्जीकरण–

पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (१५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[१६] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)। यदि पञ्जिकाधिकारी संस्था का पञ्जीकरण करने से मना करते हैं, तो संस्था इस निर्णय के विरुद्ध, राज्य सरकार के पास पुनरावेदन कर सकती है।

परिवर्तन– आप संस्था के उदेश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु, ऐसा करने के लिए आपको पञ्जीकाधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होंगी। उसके पश्चात् आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन करवाना होगा (धारा-८,१२)। संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम में किये गये प्रत्येक परिवर्तन को ३० दिनों के अन्दर पञ्जीकाधिकारी के पास जमा करवाना होगा।

यदि राज्य सरकार को संस्था का नाम किसी अन्य पञ्जीकृत संस्था के नाम के समरूप लगे तो वह संस्था को नाम परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। इस आदेश के ३ महीने के अन्दर संस्था को अपना नाम परिवर्तन कर लेना होगा (धारा-११)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के ३० दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जीकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए (धारा-१७)।

शासी-निकाय को संस्था के गत वर्ष के कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन भी जमा करवाना होगा। वार्षिक प्रतिवेदन और सदस्य सूची संस्था के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

शासी-निकाय की सदस्यता में हुए किसी भी परिवर्तन का विवरण ३० दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी को जमा करना होगा।

लेखा-सम्बन्धी प्रावधान– संस्था को उचित बही-खाते अपने पञ्जीकृत कार्यालय में रखने होंगे। प्रत्येक वर्ष बही-खातों का अंकेक्षण (ऑडिट) एक योग्य शासपत्रित लेखाकार (चार्टर्ड अकाउण्टैण्ट), अथवा पञ्जीकाधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य व्यक्ति से करानी चाहिए (धारा-१५)। शासी-निकाय की सदस्य सूची के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र की प्रतिलिपि भी जमा करावानी चाहिए।

सदस्यों द्वारा विघटन– यदि किसी विशेष महासभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम तीन-चौथाई (७५ %) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

पञ्जिकाधिकारी द्वारा विघटन– यदि पञ्जीकाधिकारी यह मानते हैं कि संस्था का कार्य अथवा प्रबन्धन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो

---

[१३] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[१४] सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद

[१५] पञ्जीकाधिकारी द्वारा प्रमाणित

[१६] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

वह संस्था को एक 'कारण-बताओ सूचना' भेज सकते हैं (धारा-२६)। अगर पञ्जिकाधिकारी संस्था के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वह धारा २५ के अन्तर्गत संस्था के विघटन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय द्वारा विघटन- न्यायालय भी निम्नलिखित मामलों में संस्था के विघटन का आदेश दे सकता है (धारा-२५) :-

- अधिनियम या नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने पर; या
- सदस्यों की संख्या ७ से कम हो जाने पर; या
- निरन्तर लगातार तीन वित्तीय वर्ष तक संस्था के निष्क्रिय रहने पर; या
- संस्था द्वारा अपने दायित्वों और ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ हो जाने परे; या
- अन्य कोई भी कारण, जहाँ संस्था का विघटन ही उचित उपाय हो।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जा सकती। किन्तु, संस्था के विघटन के समय उपस्थित तीन-चौथाई (७५ %) सदस्य इस सम्पत्ति[१७] को किसी दूसरी संस्था को देने करने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-२७)।

यदि विघटन न्यायालय के आदेश पर होता है तो न्यायालय भी सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद संस्था की बची हुई सम्पत्ति किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकता है।

अन्य प्रावधान- प्रथम वर्ष के लिये दो रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती हैं (धारा-२६)।

सम्बन्धित लेखा·योग -

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन - आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पंजीकृत संस्था - १
७८: संस्थाओं का नियमन - गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक
७९: संस्थाओं का नियमन - कर्नाटक से केरल तक
८०: संस्थाओं का नियमन - मध्य प्रदेश से मेघालय तक
८१: संस्थाओं का नियमन - मिज़ोरम से पंजाब तक
८२: संस्थाओं का नियमन - राजस्थान से तमिलनाडु तक

[१७] सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-ए, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८, २६३४ ६१११; प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ३८५२; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com

© AccountAid™ India मार्च २००३ ईस्वी; फाल्गुन विक्रम संवत् २०५९